



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला महासमुन्द (छ0ग0)



Phone No. 07723-222232, E-mail: cmho_mahasamund@rediffmail.com

क्रमांक/एनएचएम/सं.भ./2021/2913

महासमुन्द, दिनांक: 05/07/2021

:: कौशल परीक्षा व दस्तावेज सत्यापन सूचना ::

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुन्द के संविदा भर्ती विज्ञापन क्रमांक/एनएचएम/2020/469 महासमुन्द दिनांक 24.02.2020 के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विज्ञापित विभिन्न संविदा पदों की पूर्ति हेतु भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भर्ती प्रक्रिया के तहत पूर्व में कोविड-19 के कारण 4 पदों पर कौशल परीक्षा को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया था, जिसे पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। निम्नांकित पदों हेतु कौशल परीक्षा के लिये चयनित अभ्यर्थियों की पदवार सूची जारी किया गया है तथा कौशल परीक्षा लिये जाने हेतु समय सारणी एवं स्थान का पदवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पद नाम	कौशल परीक्षा तिथि	समय	स्थान
1	Block Manager - Data	12-07-2021	प्रातः 10:00 बजे से	शासकीय महाप्रभू वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुन्द, विज्ञान भवन कलेक्ट्रेट रोड मचेवा महासमुन्द
2	Jr Secretarial Assistant - PADA			
3	Jr Secretarial Assistant-DEO			
4	Laboratory technicians	13-07-2021	प्रातः 10:00 बजे से	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुन्द

उपरोक्त पदों के लिए कौशल परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं प्रवेश पत्र का प्रारूप महासमुन्द जिले की वेबसाइट www.mahasamund.gov.in में अपलोड कर दी गई है तथा उक्त सूची अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के सूचना पटल में भी चस्पा की गई है।

अतएव कौशल परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थी समस्त मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय एवं स्थान में कौशल परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

नोट:-

1. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रवेश पत्र डाक के माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ है, वे जिले की वेबसाइट से प्रवेश पत्र का प्रारूप प्राप्त करते हुए उपस्थित हो सकते हैं।
2. कौशल परीक्षा के तिथि, समय व स्थान में परिवर्तन होने की स्थिति में सूचना जिले की वेबसाइट में अपलोड की जावेगी।
3. कौशल परीक्षा तिथि को ही दस्तावेज सत्यापन किया जावेगा।
4. चयन समिति द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों के आधार पर चयन की कार्यवाही की जावेगी।
5. अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु निर्धारित कुल अंको का 30 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। 30 प्रतिशत अंक अर्जित नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी को चयन हेतु अपात्र माना जावेगा।
6. समस्त अभ्यर्थियों से अपील की जाती है कि वे कौशल परीक्षा के दौरान कोविड-19 से बचाव हेतु शासन द्वारा जारी निर्देशों एवं सामान्य व्यवहार जैसे- मास्क लगाना, सेनेटाइजर का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
महासमुन्द (छ0ग0)